तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/11/25	वकीलवादी उप०। TDR Report अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इंतजार TDR Report दि० 21/11/25 को पेश हो।
21/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 15/12/25 को पेश हो। TDR रिपोर्ट प्राप्त।
15/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 को पेश हो।
23/12/25	वकीलवादी उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश 30/12/25 को पेश हो।
30/12/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वादी वाद पत्र में अंकित तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहने एवं वाद वर्णित आराजी में वादी का नाम [illegible] से दर्ज रिकार्ड होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

प्रकरण नं0 302/प्रा0 पत्र/2025	तारीख दायरा 10.06.2025	तारीख फैसला 30.12.2025

दिनेश आ0 श्री बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी तालेडा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी ।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादी :- श्री हिम्मत सिह
अधिवक्ता प्रतिवादी :- पेरोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 364 पुराना 200 की खसरा सं. 30 रकबा 9.7043 है0 वाके ग्राम तालेड़ा पटवार हल्का तालेडा भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र तालेडा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित है। जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है एवं वर्तमान जमाबंदी सम्बत 2076-2076 प्रस्तुत है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं एवं भूमि ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था एवं जब ऑनलाईन करते समय प्रार्थी के मूल नाम/दस्तावेजी नाम के स्थान पर प्रार्थी का बोलता नाम धनेश्वर कुमार सहवन से प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर इन्द्राज हो गया । जबकि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम दिनेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में एवं प्रार्थी जायज वारिस है एवं राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा बिना दस्तावेजी परिक्षण के ही प्रार्थी का नाम प्रार्थी के बोलते नाम धनेश्वर कुमार के अनुसार ही धनेश्वर कुमार नाम खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम मूल नाम दस्तावेजी आधार पर दिनेश है। प्रार्थी की भूमि जो वाद वर्णित है का जब तहसील तालेड़ा में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करते समय उक्त भूमि में नाम बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन फानन में प्रार्थी का बोलता नाम ही धनेश्वर कुमार ही अंकित कर दिया, जो कि गलत इन्द्राज हुआ जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम दिनेश है। एल0 आर0 एक्ट की धारा 136 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि नाम में गलती हुई है तो प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वास्तविक नाम का इन्द्राज खातेदारी भूमि में करवा सकता है। गलत नाम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है। प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है एवं इस बाबत जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी तालेडा से दिनांक 15.04.2025 को निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का तालेडा के द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटोल की गई, प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 15.04.2025 को तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्धी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नही सुनी एवं प्रार्थी की भूमि में नाम शुद्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि प्रार्थी की भूमि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार तालेडा को आदेशित करवावे कि पुनः प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो प्रार्थना पत्र मे वर्णित है पर नाम का शुद्धीकरण दर्ज कर अंकित करे। अप्रार्थी सं. 1 जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि को वाद मे पक्षकार बनाया गया है जिनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 02 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादी का वाद अत्यंत आवश्यक प्रकृति का होने से 02 माह पूर्व का नोटिस दिया जाना सम्भव नही है क्योकि यदि 02 माह पूर्व का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किया गया तो प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो जावेगा। जिससे

होगी अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता स. नया 364 पुराना 200 की खसरा सं. 30 रकबा 9.7043 है0 वाके ग्राम तालेडा पटवार हल्का तालेड़ा भु. अभि, निरीक्षक क्षेत्र तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जॉच रिपोर्ट मगवांकर नाम शुद्धीकरण के आदेश फरमावे जो प्रार्थी का नाम धनेश्वर कुमार गलत दर्ज है को शुद्ध कर प्रार्थी का नाम दिनेश दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम तालेडा की भूमि खाता सं0 364 खसरा सं0 30 रकबा 9.7043 है0 में दिनेश पुत्र बजरंग लाल माता भंवर बाई जाति ब्राहम्ण व धनेश्वर पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम धनेश्वर कुमार नामान्तकरण सं. 260 ग्राम तालेडा न्यायालय डिक्री से दर्ज हुआ है। प्रार्थी का नाम दिनेश प्रार्थी कि माता भंवर बाई पत्नि बजरंग लाल के विरासत के नामान्तकरण सं0 1544 से दर्ज हुआ है।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार धनेश्वर कुमार का नाम सक्षम न्यायालय की डिक्री के आधार पर दर्ज है। जबकि दिनेश का नाम उसकी माता भंवर बाई पत्नि बजरंग लाल के विरासत के नामान्तकरण सं0 1544 से दर्ज हुआ है। पूर्व डिक्री में कोई संशोधन नही होता, तब तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्ठि को परिवर्तन का कोई विधि सम्मत आधार प्रतीत नही होता है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दोराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 364 पुराना 200 की खसरा सं. 30 रकबा 9.7043 है0 वाके ग्राम तालेडा पटवार हल्का तालेड़ा भु. अभि, निरीक्षक क्षैत्र तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जॉच रिपोर्ट मगवांकर नाम शुद्धीकरण के आदेश फरमावे जो प्रार्थी का नाम धनेश्वर कुमार गलत दर्ज है को शुद्ध कर प्रार्थी का नाम दिनेश दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

दोराने बहस पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में धनेश्वर आ0 बजरंग लाल ग्राम न्यायालय तालेडा की डिक्री के आधार पर जर्ये नामान्तकरण 260 से आया है जिसे संशोधन हेतु सक्षम न्यायालय में पारित डिक्री में संशोधन करवाने के पश्चात ही नाम परिवर्तन किया जा सकता है। वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादी का नाम धनेश्वर कुमार पुत्र बजरंग लाल ग्राम तालेडा न्यायालय में पारित डिक्री के आधार पर दर्ज रिकार्ड हुआ है। उक्त अंकन करने में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटी नही की गयी है वरन न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में जर्ये नामान्तकरण 260 से उक्त प्रविष्टी अंकित हुयी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहने एवं वाद वर्णित आराजी में वादी का नाम न्यायालय डिक्री से दर्ज रिकार्ड होने के कारण उक्त संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा